सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2017/00116 दर्ज तिथिः—20.06.2017

1. कानाराम वल्द केवलाराम
   जाति मेगवाल निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. लाखा पुत्र कला
2. चतरा पुत्र कला
3. कोजा पुत्र रावताराम
4. अना पुत्र भेराराम
5. गुलाबी देवी पत्नी लाखाराम
   जाति गुरूड़ा निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री डालूराम चौधरी।
प्रतिवादीः— श्री हरीश चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:संशोधित निर्णयः—

संशोधित निर्णय तिथिः—02.12.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 176/4/15.00 बीघा मौजा सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:23:46 IST
Reason: SelfAttested

तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 04 ता 05 हाजा न्यायालय में असालतन—वकालतन उपस्थित हुए एवं शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01, 04 ता 05 के अधिवक्ता द्वारा माफिक हक हिस्सा भूमि की गुणवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं वर्तमान कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाने की सहमति दी। जिस पर वकील वादी ने सहमति दिये जाने पर दिनांक 20.08.2018 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2020/1600 दिनांक 22.07.2020 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई जाकर दिनांक 12.02.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गई।

3. **प्रकरण में वादी द्वारा धारा—152 सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त वाद की अंतिम डिक्री में लिपिकीय त्रुटि से खसरा संख्या 176/4/15 बीघा वाके ग्राम सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी का अंकन प्रारम्भिक डिक्री में सही लिखा गया परंतु अंतिम डिक्री में रकबा वादी का रकबा 01 बीघा सही है एवं प्रतिवादीगण का रकबा 14.00 बीघा के स्थान पर 2.06 बीघा गलत हो गया है। उक्त खसरा संख्या 176/4 में प्रतिवादीगण का रकबा 2.06 बीघा के स्थान पर 14.00 बीघा को दुरूस्त किया जाकर पुनः संशोधित अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।**

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 176/4/15.00 बीघा मौजा सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:23:46 IST
Reason: SelfAttested

के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। प्रकरण में न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 12.02.2024 द्वारा अंतिम डिक्री जारी की गई थी। जिसमें संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादी का रकबा 01.00 बीघा सही लिखा गया है परंतु प्रतिवादीगण का रकबा 14.00 बीघा के स्थान पर 02.06 बीघा लिखा गया है। जो संलग्न दस्तावेजात् एवं कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से लिपिकीय त्रुटि से गलत लिखा हुआ प्रतीत होता है। अतः हाजा न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 12.02.2024 में प्रतिवादीगण के रकबे का लिपिकीय त्रुटि से गलत अंकन को सही कर प्रतिवादीगण का हिस्सा 2.06 बीघा के स्थान पर 14.00 बीघा का अंकन सही किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 176/4/15 बीघा वाके ग्राम सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
कानाराम वल्द केवलाराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	पूर्ण	176/4	1.00	बा.दो.
किता 01 रकबा 01.00 बीघा				
लाखा वल्द कला	3/14	176/4	14.00	बा.दो.
गुलाबी देवी पत्नी लाखाराम	3/14			
चतरा वल्द कला कौम गुरूड़ा	3/14			
कोजाराम वल्द रावताराम कौम मेघवाल	3/14			
चतरा वल्द कला	5/28			
गुलाबी देवी पत्नी लाखाराम कौम गुरूड़ा सा. देह खातेदार	5/28			
किता 01 रकबा 14.00 बीघा				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:23:46 IST
Reason: SelfAttested

पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह संशोधित निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:23:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2017 / 00116 दर्ज तिथिः—20.06.2017

1. कानाराम वल्द केवलाराम
   जाति मेगवाल निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. लाखा पुत्र कला
2. चतरा पुत्र कला
3. कोजा पुत्र रावताराम
4. अना पुत्र भेराराम
5. गुलाबी देवी पत्नी लाखाराम
   जाति गुरूड़ा निवासी सिंधासवा चौहान तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री डालूराम चौधरी।
प्रतिवादीः— श्री हरीश चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:संशोधित पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 176/4/15 बीघा वाके ग्राम सिंधासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:23:46 IST
Reason: SelfAttested

है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
कानाराम वल्द केवलाराम कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	पूर्ण	176/4	1.00	बा.दो.
किता 01 रकबा 01.00 बीघा				
लाखा वल्द कला	3/14	176/4	14.00	बा.दो.
गुलाबी देवी पत्नी लाखाराम	3/14			
चतरा वल्द कला कौम गुरूड़ा	3/14			
कोजाराम वल्द रावताराम कौम मेघवाल	3/14			
चतरा वल्द कला	5/28			
गुलाबी देवी पत्नी लाखाराम कौम गुरूड़ा सा. देह खातेदार	5/28			
किता 01 रकबा 14.00 बीघा				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह संशोधित डिक्री आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:23:46 IST
Reason: SelfAttested